


निरीक्षण प्रतिवेदन



सत्यमेव जयते

थाना कार्यालय : कलुआही

निरीक्षण की तिथि : 21.10.2002

डा० बी० राजेन्दर

भा० प्र० से०

जिला पदाधिकारी,

मधुबनी

ड। 10 बी। 10 राजेन्द्र, भा। 10 प्र। 10, जिला पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा दिनांक 21-10-2002 को कलुआही थाना का किये गये निरीक्षण से संबंधित अभिलिखित निरीक्षण रिपोर्टि ।

1- परिचय :-

कलुआही थाना की स्थापना गृह। आरक्षी। विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 1824 दिनांक 31-12-1988 एवं आरक्षी महानिरीक्षक के सहायक। प्र। तासं।, बिहार, पटना के वितन्तु सखाद संख्या 5 एवं 2 दिनांक 5-1-1989 के अनुसार खोली थाना के सहायक थाना के रूप में दिनांक 01-01-1989 से किया गया है । जिला मुख्यालय से लगभग 20 कि। मी। की दूरी पर राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-105 से लगभग एक कि। मी। की दूरी पर यह थाना अवस्थित है । निरीक्षण के क्रम में बताया गया कि वर्ष 1981 से कलुआही चौक पर एक निजी मकान के एक कमरे में ओपी। के रूप में यह थाना कार्यरत था । बताया गया कि इस थाना क्षेत्रान्तर्गत किसी घटना के बारे में प्राथमिकी खोली थाना में ही दर्ज होता है । यहाँ उल्लेख करना समीचीन प्रतीत होता है कि कलुआही मधुबनी जिला का 21 वें प्रखंड के रूप में दिनांक 14-08-2001 को ग्रांमीण विकास विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 12278 दिनांक 30-11-1999 द्वारा सृजन किया गया । प्रखंड भवन भी सिंवाई विभाग के पंचायती कोश।ी नहर के मुख्यालय, जो रदिका के अन्तर्गत पड़ता है, उसी के अन्तर्गत इसी परिसर में स्थित है । थाना परिसर में एक बड़ा सा गोदाम है। प्रखंड भवन पुराने कोश।ी विभाग के भवन में कार्यरत है एवं अच्छे ढंग से उपयोग हो रहा है । इसके अतिरिक्त थाना परिसर में हाल ही में स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत आधारभूत संरचना के तहत प्रािक्षण सह-उत्पाद केन्द्र, भवन का निर्माण कराया गया है, जिसमें बैठक/प्रािक्षण आदि होता है । यह सहायक थाना अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी, सदर मधुबनी एवं आरक्षी निरीक्षक, खोली अंचल के अन्तर्गत आता है । आवागमन के दृष्टिकोण से सुविधाजनक है । इस थाना क्षेत्र की जनसंख्या वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 94, 607 है । थाना का क्षेत्रफल 21 वर्ग कि। मी। है । इस थाना के अन्तर्गत 10 पंचायत एवं 3 बीट है । इस थाना के अन्तर्गत कोई फिकेट नहीं है । निकटतम रेलवे स्टेशन, जयनगर, खोली एवं मधुबनी है । सभी स्टेशनों की दूरी औसतम 18 कि। मी। है । इस थाना क्षेत्र के ग्राम-डोकर में अवस्थित मॉ। भवती राज-र निशचरी का मुख्य मंदिर है, जो धार्मिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है । इस थाना के उत्तर में 18 कि। मी। की दूरी पर जयनगर थाना, दक्षिण में 12 कि। मी। की दूरी पर रदिकाथाना एवं पूरब में 15 कि। मी। की दूरी पर खोली थाना एवं पश्चिम में लगतार.....2/-

ओर धाना है । चारो ओर जाने के लिए पक्की सड़क की सुविधा है । निरीक्षा के क्रम में उपस्थित आरक्षी निरीक्षक श्री विनय कुमार सिंह ने बताया प्राप्त जानकारी के अनुसार जब श्री रामचन्द्र जी जब जनकपुर जा रहे थे तो यहाँ क्षेत्राङ्गनास्ताह करने के लिए स्के थू फ्लस्वरूप तब से इसका नाम क्लुआही पड़ गया है ।

लगभग 21-22 दिन पूर्व सूचना दिये जाने के बावजूद अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी, सदर मधुवनी निरीक्षा के समय उपस्थित नहीं थे जो खेदजनक है । आरक्षी अधीक्षक, मधुवनी से अनुरोध है कि अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी, सदर मधुवनी से इस संबंध में रफर्टीकरण प्राप्त कर वरतुस्थित से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कर लिये ।

2- भवन :-

इस धाना का अपना कोई भवन नहीं है । वर्तमान में यह धाना बिहार सरकार के कोषी प्रोजेक्ट के खाली पड़े भवन में कार्यरत है । कार्यालय भवन का निरीक्षा किया गया । बताया गया कि भवन के छत से पानी बूता है, पूरे भवन का प्लास्टर लगभग समाप्त हो गया है । स्थिति बहुत ही बर्बर है । किसी भी समय भूकंप दुर्घटना घटने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है । धाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि धाना भवन की मरम्मत हेतु सिंघाई विभाग से पत्राचार किया जाय । इसके अतिरिक्त गृहआरक्षी विभाग से भी इसकी मरम्मत के लिए अनुरोध किया जाय । धाना भवन के निरीक्षा के क्रम में धाना के दफिटा दिशा में एक बड़ा सा खेत पाया गया, जिसके बीचोबीच पथ फीट का एक दीवाल खड़ा हुआ पाया गया । अंगल अधिकारी, खमौली को अधिसूचना दिया जाता है कि इस परिसर के बीच में स्थित दीवाल की जाँच कर 15 दिनों के अन्दर वरतुस्थित से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें । धाना परिसर में चार आवासीय भवन है, जिसमें धाना के पदाधिकारी रहते हैं । उक्त भवनों की स्थिति भी अच्छी नहीं है । धाना प्रभारी ने बताया कि धाना भवन के लिए जमीन का अधिष्ठा नहीं हुआ है । धाना भवन के लिए जमीन का अर्जन आवश्यक है । धाना भवन के निम्नलिखित हेतु जमीन का अर्जन हेतु प्रस्ताव 15 दिनों के अन्दर अंगल अधिकारी, खमौली स्थल जाँच कर अधोहस्ताक्षरी को भवन सुनिश्चित करें । धाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि निजी धाना भवन हेतु भू-अधिष्ठा हेतु अंगल अधिकारी, खमौली से पत्राचार किया गया है ।

3- प्रभार :-

श्री प्रदीप कुमार दात, अवर निरीक्षक दिनांक 07-04-2001 से धाना प्रभारी के रूप में कार्यरत है । इसके पूर्व श्री

राजिभूषण प्रसाद, अवर जनरीषक धाना प्रभारी के रूप में कार्यरत थे। अयोध्याक्षरी के निरीक्षण हेतु प्रस्तुत प्रतिवेदनानुसार वर्ष 1989 से इस धाना में पदस्थापित धाना प्रभारियों की सूची बनाई गई है। इस धाना में कार्यरत पदाधिकारियों के पदस्थापन संबंधी नामपद संघारित है एवं दीवाल पर टंगा हुआ है। वर्ष 1989 से कलुआही धाना में पदस्थापित धाना प्रभारियों का नाम एवं अवधि निम्नवत है :-

| क्रमांक | पदाधिकारी का नाम | संवर्ग | कार्य अवधि |
|---------|--------------------|------------|-----------------------------|
| 1- | अशोक कुमार | अवर निरीषक | 15-10-1989 से 20-05-1990 तक |
| 2- | सीताराम | अवर निरीषक | 21-05-1990 से 30-10-1991 तक |
| 3- | मोहनलाल राजक | अवर निरीषक | 01-11-1991 से 27-01-1993 तक |
| 4- | आर0रन0त्रिपाठी | अवर निरीषक | 28-01-1993 से 14-09-1993 तक |
| 5- | अर्जुन प्रसाद | अवर निरीषक | 15-09-1993 से 27-06-1994 तक |
| 6- | आई0 के0 ठाकुर | अवर निरीषक | 28-06-1994 से 26-04-1995 तक |
| 7- | राजेन्द्र मिश्र | अवर निरीषक | 27-04-1995 से 24-08-1997 तक |
| 8- | अतुल कुमार ताम्रशा | अवर निरीषक | 25-08-1997 से 24-06-1998 तक |
| 9- | डी0पी0 साह | अवर जनरीषक | 25-06-1998 से 09-06-1999 तक |
| 10- | रघुवर0छाँ | अवर निरीषक | 10-06-1999 से 06-01-2000 तक |
| 11- | सोपी0 प्रसाद | अवर जनरीषक | 07-01-2000 से 03-02-2001 तक |
| 12- | प्रदीप कुमार दास | अवर जनरीषक | 07-04-2001 से अदत्त । |

स्थाना :-

कलुआही धाना में स्वीकृत बल की स्थिति निम्नप्रकार है :-

| क्रमांक | पद | स्वीकृत बल | कार्यरत बल | रिक्ति | अतिरिक्त |
|---------|------------------|------------|------------|--------|----------|
| 1- | अवर निरीषक | 2 | 1 | 1 | - |
| 2- | सहायक अवर निरीषक | 2 | 3 | - | 1 |
| 3- | हवालदार | 2 | 1 | 1 | - |
| 4- | आरक्षी | 9 | 4 | 5 | - |

उपर्युक्त तालिका के अन्तर्गत से रूपरेखा है कि अवर निरीक्षक का एक पद, हवलदार का एक पद एवं आरक्षी का 5 पद भी तद्विस्तृत है। इसके अतिरिक्त एक सहायक अवर निरीक्षक इस धाना में अतिरिक्त पदस्थापित है। आरक्षी अपीक्षक, मधुबनी से रोप है कि रिक्त स्थानों के विरुद्ध पदस्थापन की दिशा में आवश्यक कार्यवाई करें।

अवर निरीक्षक/आरक्षियों के पदस्थापन की विस्तृत विवरणी निम्नवत है :-

| शिक | पद | नाम | पदस्थापन की तिथि | गृह पता |
|-----|--------------------|-------------------------|------------------|---|
| | अवर निरीक्षक | प्रदीप कुमार दास | 04-02-2001 | ग्राम-गौड़ीपुर, धाना-कुंडा, जिला-देवघर |
| | सहायक अवर निरीक्षक | चर्तुभूष राय | 12-07-2002 | ग्राम-मानपुर चहेलौर, धाना-डोरिगंज, जिला-छपरा। |
| | सहायक अवर निरीक्षक | राशु प्रसाद जमादार | 10-07-2001 | ग्राम-पौठ-धाना-बनानन्द, जिला-मुन्सिरी |
| | सहायक अवर निरीक्षक | बी०के० पाण्डेय | 13-09-2002 | ग्राम-पयलुखिया, धाना-बरहरिया, जिला-भोजपुर। |
| | हवलदार | कपिलदेव राय | 27-07-2001 | ग्राम-सुखलिया, धाना-बरहरिया, जिला-सिवांग। |
| | साक्ष आरक्षी-214 | हेरान्न कुमार चतुर्वेदी | 23-04-2000 | ग्राम-मोहनपुर, धाना-धरहरा, जिला-मुंगेर। |
| | आरक्षी-220 | बेदार सिंह | 02-05-2000 | ग्राम-भान्जिरपुर, धाना-सहरी, जिला-मधुबनी। |
| | आरक्षी 663 | महेश्वर मंडल | 12-07-2001 | ग्राम-नरौली, धाना-बहिलपारपुर, जिला-पटना। |
| | आरक्षी-50 | अश्विनी प्रसाद सिंह | 25-08-2002 | |

5- पूर्व निरीक्षण :-

कलुआही धाना का पूर्व में निम्नांकित निरीक्षी पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया है :-

| क्रमांक | निरीक्षी पदाधिकारियों का नाम | पदनाम | निरीक्षण की तिथि | निरीक्षण दिवसों की प्राप्ति की तिथि | अनुपालन की तिथि |
|---------|------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 1- | श्री स्योरसो रजुक्ला, | अनमण्डल आरक्षी पदा सदर, मधुबनी । | 26-03-1981 | 05-04-1981 | 11-06-1981 |
| 2- | श्री देवनारायण कुंवर | आरक्षी निरीक्षक, खजौली | 30-11-1981 | 01-12-1981 | 01-01-1982 |
| 3- | श्री स्योरसोरजुक्ला, | अनमण्डल आरक्षी पदा सदर मधुबनी । | 03-03-1982 | 03-03-1982 | 25-03-1982 |
| 4- | श्री देवनारायण रजुक्ला | आरक्षी निरीक्षक, खजौली | 28-03-1982 | 28-03-1983 | 23-06-1983 |
| 5- | श्री स्योरसो रजुक्ला, | अनमण्डल आरक्षी पदा सदर मधुबनी । | 18-03-1983 | 08-04-1983 | 26-08-1984 |
| 6- | श्री स्योरसोरखा, | अनमण्डल आरक्षी पदा सदर मधुबनी । | 13-12-1983 | 15-12-1983 | 27-03-1984 |
| 7- | श्री पीोरनोरिखारि | आरक्षी निरीक्षक, खजौली | 23-03-1984 | 24-03-1984 | 26-03-1984 |
| 8- | श्री निर्मल चन्द्र दौंदियाल | आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी | 23-09-1985 | 25-09-1985 | 10-11-1985 |
| 9- | श्री महानन्द झा, | अनमण्डल आरक्षी पदा सदर मधुबनी । | 29-11-1985 | 01-12-1985 | 03-03-1986 |
| 10- | श्री महानन्द झा | अनमण्डल आरक्षी पदा सदर मधुबनी । | 12-11-1986 | 12-11-1986 | 20-12-1987 |
| 11- | श्री जुन्नस कुंवर | अनमण्डल आरक्षी पदा सदर मधुबनी । | 26-08-1987 | 29-08-1987 | 01-09-1987 |
| 12- | श्री जनार्दन प्रोसिंह | आरक्षी निरीक्षक, खजौली | 11-12-1987 | 15-12-1987 | 20-12-1987 |
| 13- | श्री जुन्नस कुंवर | अनमण्डल आरक्षी पदा सदर मधुबनी । | 29-10-1988 | 05-11-1988 | 03-03-1989 |
| 14- | श्री ससोरपीोरचक्र | आरक्षी निरीक्षक, खजौली | 28-12-1989 | 28-12-1990 | 18-03-1990 |
| 15- | श्री रणजीत कुमार प्रसाद | अनमण्डल आरक्षी पदा सदर मधुबनी । | 21-05-1990 | 21-05-1990 | 30-09-1990 |
| 16- | श्री योगानन्द सिंह | आरक्षी निरीक्षक, खजौली | 30-11-1990 | 30-11-1990 | 03-07-1991 |

| | | | | | |
|-----|-----------------------------------|--|------------|------------|------------|
| 17- | श्री आर०आर०वर्मा | आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी | 11-12-1990 | 19-12-1990 | 31-12-1991 |
| 18- | श्री रणजीत कुमार प्रसाद | अनुमण्डल आरक्षी पद TO सदर मधुबनी । | 28-08-1991 | 28-08-1991 | 31-12-1991 |
| 19- | श्री उमाकान्त बैठा | आरक्षी निरीक्षक, खजौली | 12-01-1992 | 12-01-1992 | 25-01-1992 |
| 20- | श्री पी०आर०के०नाथडु | आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी | 20-01-1992 | 01-02-1992 | 24-02-1992 |
| 21- | श्री नम्रान कुमार सन्हा | अनुमण्डल आरक्षी पद TO सदर मधुबनी । | 22-10-1992 | 01-04-1993 | 13-07-1993 |
| 22- | श्री नवीन कुमारसन्हा | अनुमण्डल आरक्षी पद TO सदर मधुबनी । | 31-08-1993 | 05-09-1993 | 05-10-1993 |
| 23- | श्री पी०आर०के०नाथडु | आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी | 11-09-1993 | 29-09-1993 | 25-08-1994 |
| 24- | श्री अखिलेश्वर ठाकुर | आरक्षी निरीक्षक, खजौली | 27-10-1993 | 27-10-1993 | 25-08-1994 |
| 25- | श्री अखिलेश्वर ठाकुर | आरक्षी निरीक्षक, खजौली | 08-12-1994 | 08-12-1994 | 13-12-1994 |
| 26- | श्री रामलक्ष्म प्रसाद | आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी | 26-10-1995 | 30-12-1995 | 21-08-1996 |
| 27- | श्री नरेश प्रसाद सिंह भट्टाओसो | अपर आरक्षी पद टाफिकरारी, सदर मधुबनी । | 24-12-1995 | 09-01-1996 | 20-03-1996 |
| 28- | श्री राम लखन प्रसाद | आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी | 16-08-1996 | 09-12-1996 | 15-12-1996 |
| 29- | श्री के०पी०र०भियेया | जिला पद टाफिकरारी, मधुबनी | 19-09-1996 | 05-10-1996 | 10-07-1997 |
| 30- | श्री नरेश प्रसाद सिंह | अपर आरक्षी अधीक्षक, सदर मधुबनी । | 26-02-1997 | 30-05-1997 | 30-06-1997 |
| 31- | श्री राधाब अहतर | आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी | 29-07-1997 | 23-03-1998 | 26-03-1998 |
| 32- | श्री यू०र०सुधार्जु | अनुमण्डल आरक्षी पद टाफिकरारी सदर मधुबनी । | 07-02-1998 | 11-02-1998 | 15-02-1998 |
| 33- | श्री र०र०न०प०सबान | आरक्षी निरीक्षक, खजौली | 16-03-1998 | 16-03-1998 | 05-04-1998 |
| 34- | श्री र०र०न०प०सबान | आरक्षी निरीक्षक, खजौली | 06-12-1998 | 06-12-1998 | 26-12-1998 |
| 35- | श्रीमती प्रीता वर्मा, | आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी | 15-03-1999 | 05-06-1999 | 11-06-1999 |
| 36- | श्री जगदीश दास | आरक्षी निरीक्षक, खजौली | 29-01-2000 | 29-10-2000 | 30-10-2000 |
| 37- | श्री निशवर्तकर | अनुमण्डल आरक्षी पद TO सदर मधुबनी | 15-01-2001 | 15-01-2001 | 20-01-2002 |

| | | | | | |
|-----|------------------------------|--|------------|------------|------------|
| 38- | श्री विमलेश्वर प्रसाद सिन्हा | आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी | 31-07-2001 | 07-08-2001 | 27-08-2002 |
| 39- | श्री शिव शंकर | अनुमण्डल आरक्षी पदाधिका- र सदर मधुबनी । | 17-01-2002 | 17-01-2002 | 15-02-2002 |
| 40- | श्री विमलेश्वर प्रसाद सिन्हा | आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी | 01-10-2002 | 06-10-2002 | 09-10-2002 |

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि किसी भी अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा इस धाना का निरीक्षण नहीं किया गया है जो उचित नहीं है । बिहार पुलिस हफ्तक के नियम 32 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि "अनुमण्डल पदाधिकारियों को आरक्षी के संबंध में वही सब शर्तियाँ प्राप्त हैं, जो अन्य अधीनस्थ मजिस्ट्रेटों को हैं । हर अनुमण्डल पदाधिकारी का कर्तव्य है कि वे अपने अधीक्षक के भीतर सभी धानों का वार्षिक निरीक्षण करें । अतएव, अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर मधुबनी को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले सभी धानों का वार्षिक निरीक्षण कर निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

निरीक्षण रिपोर्ट से संबंधित रक्षी शायक का अवलोकन किया । यह तैयारी भौलम में संघारित है एवं, सभी निरीक्षी पदाधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण का निरीक्षण रिपोर्ट उसी में सौटा गया है । यह प्रथा ठीक नहीं है । नियमानुसार सभी निरीक्षी पदाधिकारियों के लिए अलग-अलग रक्षी शायक का संघारण होना चाहिए एवं अनुपालन प्रतिवेदन भी उसी में सौटा जा रहा है । आरक्षी निरीक्षक, खगोल अंचल द्वारा वर्ष 2000 के बाद इस धाना का निरीक्षण नहीं किया गया है, जो खेदजनक है । उन्हें निर्देश दिया जाता है कि अपने अंचलान्तर्गत सभी धानों का वर्ष में एक बार निरीक्षण अवश्य करें ।

दिनांक 19-09-1996 को श्री के.पी.ओ.रमेश्वर, तत्कालीन जिला पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा इस धाना का किये गये निरीक्षण का रिपोर्ट का अवलोकन किया । निरीक्षण रिपोर्ट में दिये गये निर्देश का अनुपालन किया गया है ।

श्री विमलेश्वर प्रसाद सिन्हा, तत्कालीन आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी द्वारा दिनांक 01-10-2002 को इस धाना का निरीक्षण किया गया है । श्री एस.ओ.शिवशंकर, अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी, सदर मधुबनी द्वारा इस धाना का दिनांक 17-01-2002 को किये गये निरीक्षण का रिपोर्ट रिपोर्ट का अवलोकन किया । निरीक्षण रिपोर्ट के कण्डिका-17 में अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी, सदर मधुबनी द्वारा किये गये निरीक्षण का अनुपालन प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि अनुपालन किया गया है, परन्तु किस पत्रांक/दिनांक से किया गया, इसका कोई विवरण नहीं है ।

उपर्युक्त तालिका से यह भी स्पष्ट होता है कि बहुत से निरीक्षा टिप्पणियों का अनुपालन प्रतिवेदन भेजने में विलम्ब किया गया है, जो उचित नहीं है। धाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि निरीक्षा टिप्पणी प्राप्त के एक माह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन निश्चित रूप से भेजना सुनिश्चित करें। अगर निर्धारित समय-सीमा के अन्दर निरीक्षा टिप्पणी का अनुपालन नहीं भेजा जाता है तो निरीक्षा का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है। धाना प्रभारी भविष्य में इसे सुनिश्चित करेंगे।

6- धाना दैनिकी :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम-116 के तहत फार्म सं०-15 में धाना दैनिकी संधारित किया जाना है। इस धाना में नियमित रूप से खं सही ढंग से संधारित किया जा रहा है। यह दो प्रतिभों में तैयार की जाती है। कार्बन प्रति प्रतिदिन आरक्षी निरीक्षक के पास भेज दी जाती है। आरक्षी निरीक्षक द्वारा एक महीने का धाना दैनिकी संकलित कर महीने के अंतिम दिन आरक्षी अधीक्षक को श्रेत्तर कार्वार्ड हेतु भेज दी जाती है। धाना दैनिकी में हर दो छेदे की महत्वपूर्ण सूचनाओं को अंकित किया जाता है। यह कार्य प्रतिदिन 8-00 बजे पूर्वदिन से शुरू होकर अगले दिन 8-00 बजे पूर्वदिन तक अर्थात् 24 छेदे के चक्र में चलता रहता है। धाना दैनिकी में धाना क्षेत्र में जो भी घटनाएं घटित होती है, उसकी प्रविष्टि की जाती है। इसके अतिरिक्त धाना के पदाधिकारी जब बाहर जाते हैं, उक्त तिथि को कोई हारत में रहा है अथवा, उक्त तिथि का मौसम कैसा रहा, धाना में कितनी राशियां नगद रूप में है, कोई विदेशी धाना क्षेत्र में आया अथवा नहीं, आदि की भी प्रविष्टि की जाती है। यह एक महत्वपूर्ण दरतावेज है। धाना दैनिकी को धाना का दर्पण *Mirror of Police Station* कहा जाता है। धाना दैनिकी का अवलोकन किया। धाना दैनिकी के मौलम संख्या 10316 के क्रमांक 1031501 से 1031600 तक का अवलोकन किया। धाना दैनिकी के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि इसमें कहीं-कहीं अपरोहन किया गया है, परन्तु वहाँ पदाधिकारी द्वारा लघु दरताक्षर नहीं किया गया है, जो उचित नहीं जान पड़ता है।

धाना दैनिकी में कुआही धाना सनहा संख्या 230 समय-8-30 दिनांक 15-10-2002 का अवलोकन किया। इसमें यह अंकित किया गया है कि सओफिनो रांभू प्रसाद, जमादार धाना आये खं अपने साथ मणिक लाल यादव पे० रव० सु० यादव, सओ-पुरसौलिया, धाना-कुआही, जिला-मुधुखनी के पूर्व टयान पर डाक्टर. गोविन्द शर्मा, फिलीनिक कुआही चौक से अंकित कर धाना लाये, जिसके अवलोकन से कुआही धाना काण्ड संख्या 230 धारा 341/323/504/34 भा०द०वि० अंकित किया गया, जिसका औपचारिक प्राथमिकी अंकित करने हेतु धाना प्रभारी, ज्जौली के पास चौकीदार 4/5 रोख रसीद द्वारा भेजा जा रहा है। उक्त काण्ड का अनुसंधान लगातर... 9/-

शुद्धि के लिए प्रस्ताव, जमादार की। उक्त काण्ड के अन्तर्गत का इलाका हेतु अहम प्रतिवेदन जारी किया जा रहा है।

7- फिरती धंधी :-

विद्यार्थी सुनिश्चिit हस्तक के नियम-118 के तहत कार्य सं-16 में फिरती धंधी संपादन करना है, जिसे उल्टे ढंग से संपादन किया जा रहा है। फिरती धंधी की शान में संपादन होता है। शान-1 में अने धाना के फिरतियाँ की कई क्यार जताते हैं एवं शान में धुले धाना के फिरतियाँ का नाम कई किया जाता है। फिरती धंधी के अन्तर्गत से स्पष्ट होता है कि इन धाना में तीन धंधियाँ फिरत धंधियाँ हैं, जिनका नाम निम्नवत है :-

शान-1 में श्री गोविन्द सिंह वे 0 राधाकान्त सिंह, शान-2 हरिपुरडीहटीन, कल्याणी, धाना काण्ड संख्या 9/98 धारा 428/20 शान्दोबा में धारा है।

शान-2 में श्री सुदीप सुध्या उर्फ अरुण सुध्या वे 0-रब 0 शाने सुध्या, शान-3 ममल, न्यायालय मधुनी टी 0552/94 शान्दोबा में धारा धंधी है।

शान-2 में श्री सुदीप नारायण धानवान वे 0 रब 0 शानेरी धानवान, शान-3 ककर, मधुपुर धाना काण्ड संख्या 164/91 शान्दोबा में धारा है। इनके विरुद्ध 50/- धाना में समे शान धंधी है।

धंधी के अन्तर्गत से शान धंधी है कि श्री सुदीप सुध्या को फिरतार करने के लिए दिनांक 14-9-2002 की धानाधारी धंधा धंधा है। धाना प्रधारी को निम्नत दिया जाता है कि फिरतियाँ की फिरतारी हेतु विशेष धानाधारी का प्रबंध धंधा धंधी सुध्या की निताधी करें।

फिरतार अरतियाँ की धंधी :-

विद्यार्थी सुनिश्चिit हस्तक के नियम-171 के तहत कार्य संख्या -318 में धंधा धंधी का संपादन किया जाता है। इन धाना में धंधी फिरत धंधा के अन्तर्गत रसे के कारण धंधी धंधी में संपादन किया गया है। धाना प्रधारी को निम्नत दिया जाता है कि धंधी धंधा धंधी से समर्थ संपादन कर एक सल्लाह के अन्तर्गत फिरत धंधा में धंधा धंधी को संपादन करना सुनिश्चिit करें एवं अन्तर्गत प्रतिवेदन

इस वर्ष अभी तक कुल 33 व्यक्तियों की गिरफ्तार किया गया है, जिनमें जनवरी में 3, फरवरी में 3, मार्च में 3, अप्रैल में 3, मई में 8, जून में 8, अगस्त में 2, सितम्बर में 4 एवं अक्टूबर में 2 व्यक्तियों की गिरफ्तार किया गया है। अपराधियों के गिरफ्तारी के क्षेत्र में अपराधियों का मनोबल गिरता है एवं विधि-व्यवस्था के संभारण में आसानी होती है।

9- रिटर्न ऑफ अनरसस्यूटेड वारंट :-

बिहार पुलिस दरतक के नियम-109 के तहत कार्य सं०-50 में इस पंजी को संपारित करना है। यह पंजी विद्यमान इस पाना में संपारित किया गया है। पंजी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि 20 वारंट एवं 10 कुर्की तामिला हेतु संविदत है। संविदत वारंट/कुर्की की विवरणी निम्नप्रकार है :-

| वर्तमान माह में प्राप्त | | वर्तमान माह में निष्पादित | | कुल संविदत | |
|-------------------------|--------|---------------------------|--------|------------|--------|
| वारंट | कुर्की | वारंट | कुर्की | वारंट | कुर्की |
| 19 | 18 | 6 | 39 | 15 | 20 |
| | | | | 20 | 10 |

इस प्रकार उपर्युक्त ऑफिस से स्पष्ट होता है कि 20 वारंट एवं 10 कुर्की तामिला हेतु संविदत जने जा रहे हैं, जो मन्वीर कथ है। नियमानुसार संविदत वारंट/कुर्की का तामिला/निष्पादन रुक सकता है अन्तर किया जाना चाहिए। अनुमण्डन आरक्षी दाधिकारी, सदा मधुबनी को निर्देशा दिया जाता है कि वे इसकी जानकारी कर स्थिति से अपोहस्ताक्षरी की अवगत कराये। यह बहुत उत्तुपूर्ण पंजी है। थानाप्रभारी को निर्देशा दिया जाता है कि संविदत वारंट/कुर्की का तामिला/निष्पादन 15 दिनों के अन्तर कर पालन अपोहस्ताक्षरी को भेजना सुनिश्चित करें।

पदाधिकारी वार संविदत वारंट/कुर्की की विवरणी निम्नप्रकार है :-

| क्रमांक | पदाधिकारी का नाम/पदनाम | वारंट | कुर्की |
|---------|-------------------------|-------|--------|
| 1- | 30नि० पी० के० दास | - | - |
| 2- | 30अ०नि० सी० राय | 6 | 4 |
| 3- | 30अ०नि० स० पी० चम्पादार | 6 | - |
| 4- | 30अ०नि० बी०के० पाण्डेय | - | 6 |
| 5- | हवलदार कपिलदेव राय | 1 | - |

| | | |
|---------------------------------|---|---|
| 6- आरक्षी-50 अवधोगा प्रसाद सिंह | 1 | - |
| 7- आरक्षी-220 केदार सिंह | 6 | - |

कुल :- 20 10

धाना प्रभारी को निर्देशा दिया जाता है कि निम्नित वारंट/कुर्फी का निरुपादन 15 दिनों के अन्दर कर अग्रपानन प्रतिवेदन प्रोहस्ताक्षरी को भेजना सुनिश्चित करें ।

0- रजिस्टर ऑफ आर्म्स लाइसेंस :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम -130 के तहत फार्म सं0-25 में यह पंजी संघारित है । पंजी का अवलोकन किया । पंजी वधित संघारित है एवं जिला शास्त्र पंजी से दिनांक 18-10-2002 को मिलान किया गया है । बिहार शास्त्र अधिनियम -48 के तहत र्ध में एक बार इस पंजी का मिलान जिला शास्त्र पंजी से करवाया जाना है, जो किया जा रहा है ।

इस धाना में कुल 14 शास्त्र अनुज्ञापित है, जिसकी विवरणी निम्नप्रकार है :-

- १क१ रस0बी0बी0रस0 -04
- १ख१ डी0बी0बी0रस0 -10
- १ग१ रायफल -शून्य
- १घ१ रिवाल्वर -शून्य ।

कुल :- 14

- हाजत पंजी :-

बिहार पुलिस हस्तक के भीलूम-11 के नियम-239 र फार्म संख्या-43 र. में यह पंजी संघारित किया जाना है, किन्तु इस ना में इसे सादे पंजी में संघारित किया जा रहा है । पंजी के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि पंजी हाल में तैयार किया गया है एक महत्वपूर्ण पंजी है, जिसका संघारण किया जाना आवश्यक है । यदि इस पंजी का संघारण सही ढंग से नहीं किया जाता है, तो

शाली छोड़े जाते हैं, तथा यदि किसी बन्दी के साथ संयोगवश कोई अप्रिय घटना घट जाती है, तो ऐसी स्थिति में यह भी धाना प्रभारी द्वारा अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरती गई है। यह पंजी उक्त समय और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अथवा न्यायालय द्वारा किसी मामले में इस पंजी से संबंधित कोई प्रतिवेदन की मंजुरी की जाती है। उक्त समय यह पंजी काफी उपयोगी भी सिद्ध होती है।

12- तहसी नं०-1 :-

बिहार आरक्षी बस्तक के नियम-76 के तहत तखिलियों को संपादित करना है। तहसी नं०-1 सरकार की समय तखिलियों से संबंधित होती है। तहसी नं०-1 का अवलोकन किया। इसका अन्तिम मिलान आरक्षी केन्द्र, मधुबनी से दिनांक 11-10-2002 को विवरण जरी से किया गया है। यह एक महत्वपूर्ण तहसी है, इसका संपादन सही ढंग से करने का निर्देश दिया गया।

3- तहसी नं०-2 :-

धाना में पदस्थापित हर पंक्ति के पदाधिकारियों/आरक्षियों का नाम/पता इस तहसी में अंकित किया जाता है जिसे अधिसूचित संपादित किया जा रहा है।

1- तहसी नं०-3 :-

इस तहसी में विस्फोटक अधिनियम के अधीन अनुज्ञापित ग्राहक कारखाने, भंडार और दुकानों की सूची रखी जाती है। धाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि विस्फोटक अनुज्ञापित-ग्राहक भंडार का कोई मामला इस धाना में नहीं है।

2- तहसी नं०-4 :-

इस तहसी में आयुध, गोला-बारूद भंडार तथा कारखाने की सूची रखी जाती है। धाना प्रभारी ने बताया कि इस धाना में कोई भी आयुध फैक्ट्री या भंडार नहीं है।

1- तहसी नं०-5 :-

इस तहसी में विद्य-अधिनियम के अधीन अनुज्ञापन ग्राहक दुकानों की सूची रखी जाती है। धाना प्रभारी ने बताया कि नगर... 13/-

17- तहती नं०-6 :-

इस तहती में उत्पाद राजूक और अफीम अधिनियमों के अधीन अनुज्ञापत्र प्राप्त दूकानों की सूची रखी जाती है । तहती के अन्वयेकन से ज्ञात होता है कि अनुज्ञापत्र की प्रति तहती में नहीं रखी गयी है । धाना प्रभारी ने बताया कि कलुआही धाना क्षेत्र-तर्जन 21वीं शाराब की दूकानें क्रमशः एक देशी एवं एक विदेशी शाराब की दूकानें हैं, जिसका विवरण निम्नप्रकार है :-

| | | | | |
|---------|--|--------------------|-----------------|----------------|
| क्रमांक | अनुज्ञापत्रधारि का नाम/पता | अनुज्ञापत्र संख्या | दूकान का प्रकार | दूकान का स्थान |
| 1- | कपुरी चौधरी पे० कार्तिक चौधरी, सा०- मटिहानी, धाना-मटिहानी, जिला-बेगूसराय । | 66R-16/2002-03 | देशी शाराब | कलुआही । |

2- राम परीशुणा सिंह पे०-अवध सिंह,
सा०-लक्ष्मीपुर, धाना-कलुआही
जिला-मधुबनी ।

66R-21/2002-03 विदेशी शाराब कलुआही

धाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि उत्पाद अधीक्षक, मधुबनी से सम्पर्क स्थापित कर अनुज्ञापत्र की जायगति प्राप्त कर तहती में विपकाना सुनिश्चित करें ।

18- तहती नं०-7 :-

इस तहती में नैदित अन्वेषण कानूनों से संबंधित पदाधिकारियों का नाम अंकित किया जाता है, जो अद्यतन है ।

19- तहती नं०-8 :-

इस तहती में जुआ, भिसिंग सेन्टर आदि के संबंध में सूचना अंकित की जाती है । धानाप्रभारी ने बताया कि इस धाना क्षेत्र में भिसिंग एवं जुआ का कोई अड्डा नहीं है ।

20- तहती नं०-9 :-

धाना क्षेत्र में लगने वाले हाट बाजार एवं भेले की सूचना इस तहती में अंकित की जाती है । तहती अद्यतन है एवं लगने वाले हाट-बाजार, एवं भेले की तिथिवार सूचना निम्नवत है :-

| | | |
|---------|--------------|----------------------|
| क्रमांक | स्थान का नाम | दिन |
| 1- | कलुआही | शुक्रवार एवं मंगलवार |

- 2- नरार कोठी चौक बुधवार एवं शनिवार
- 3- मलमल रविवार एवं सोमवार
- 4- बेलाही बुधस्पतिवार एवं सोमवार
- 5- बरदेर सोमवार एवं शुक्रवार
- 6- चिगाही खरपुरा रविवार एवं बुधस्पतिवार

भेला

- 1- मुहर्षम पर्व के अवसर पर - कलुआही चौक
- 2- इन्द्रपूजा के अवसर पर - ग्राम-मलमल
- 3- शिवरात्रि एवं दुर्गापूजा - ग्राम-डोकहर मंदिर के पास

- तहती नं०-10 :-

इस तहती में थाना क्षेत्र के पंचायतों के अध्यक्षों, मुखियों और ग्राम पंचायतों के सरपंचों एवं प्रुखंड समितियों के अध्यक्षों के नाम बताते हैं। तहती के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि तहती में दर्ज सूचना अधूरी है। थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि तहती दंग से संधारित करना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त उक्त तहती में थाना क्षेत्र के विधायक/सांसदों का भी नाम अंकित करें।

तहती नं०-11 :-

इस तहती में नियम-152 के तहत निर्धारित प्रपत्र में सूचना संधारित की जाती है। तहती संधारित है एवं अद्यतन है। इस तहती में थानों की सूची तैयार की गई है, जिसे विशेष परिस्थिति में डाक-हाक एवं गोर-गुल की सूचना दी जाती है।

तहती नं०-12 :-

इस तहती में दागी व्यक्तियों की सूची रखी जाती है। इस तहती के अनुसार इस थाना में कुल दागियों की संख्या 8 है, जिसमें -ए में 4, श्रेणी बी में -3 एवं श्रेणी-सी में 1 कुल 8 आठ दागियों की सूची तैयार की गयी है, जिसकी विवरणी संलग्न है :-

क्रमांक दागी संख्या

नाम/पिता का नाम

पता

अपराध मौली

संक्र 1- स/223

राम राय प०-रवि राय

कलुआही

गोर

क्र 3- बी/110
क्र 4- र/54
5- र/05
6- र/06
7- बी0/108
8- सी/27

मो० शाकूर पे० जक्की ईमाम
मो० कयूम उर्फ अलम पे० गफार
बालुबी महतो पे० सुरंत महतो
राम औतार महतो पे० नथुनी महतो
राम औतार महतो पे० तुखार्ड महतो
विषय कांत झा पे० शिवाचानन्द झा
उदित नारायण मिश्र पे० सुबनेश्वर मिश्र

भरनी
हरिपुर मयरी
कालिकापुर भगतो
पुरतोतिया
पुरतोतिया
हरिपुर डीहटोल
हरिपुर मालटोल
गेर
गेर
गेर
गेर
गेर
गेर
गेर

सबसे पुराने दागी के बारे में बताया गया कि दागी मो० शकूर, जो विगत 15-16 वर्षों से फरार है, घर पर या नौद में कभी भी नहीं आया है, उसका कहें अला-पताभी नहीं है। थाना प्रभारी को निर्देशा दिया जाता है कि सभी दागियों के ऊपर कड़ी निगरानी रखें। हो सकता उपर्युक्त दागियों में से कुछ की मृत्यु भी हो गयी हो, फलतस्त्व उसकी जानबीन कर तहती से नाम हटाने का प्रस्ताव उचित माध्यम से आरक्षी अधीक्षक को भेजना सुनिश्चित करें।

24- तहती नं०-13 :-
इस तहती में सीमावर्ती थानों के सक्रिय अपराधियों की सूची रखी जाती है। सूची के अनुसार सीमावर्ती थाना बातोपट्टी T 17, जौली थाना का 5, जयनगर थाना का 2 एवं अरेर थाना का 3 सक्रिय अपराधी अर्थात् कुल 27 संज्ञाईत सक्रिय अपराधी हैं। ना प्रभारी को निर्देशा दिया जाता है कि सभी सक्रिय अपराधियों के ऊपर कड़ी निगरानी रखें।
तहती नं०-14 :-

इस तहती में अधिकांशियों को भेजी जाने वाली विवरणियाँ रखी जाती है। थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि इस थाना निर तहती का प्रतिवेदन क्रमशः साप्ताहिक प्रतिवेदन 2- मासिक अपराध समीक्षा एवं 3 थाना प्रभारी का साप्ताहिक गोपनीय दैनिकी जाती है। इस थानासे जिला पदाधिकारी/असुमण्डल पदाधिकारी को कोई प्रतिवेदन नहीं भेजा गया है। थाना प्रभारी स्पष्ट करें

कि क्या इस धाना से अधिस्नापकी को अथवा अनुमण्डल पदाधिकारी को कोई प्रतिवेदन नहीं भेजा जाता है, जबकि जिनानंतर पर 'आयोजित' कक्षा करवार' में बहुत से मामले धाने से भी संबंधित होता है। धाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि भविष्य में इसका अनुपालन सुनिश्चित करें।

24- तहसी नं०- 15 :-

इस तहसी में धाना का मानचित्र रखा जाता है। मानचित्र संघारित है। बिहार आरक्षी हस्तक के नियम-131 के अनुसार रखे जाने वाले अग्रगण्य मानचित्र के जतिरिक्त मजबूत किरमिची अन्तर वाला एक छा आ, धाना मानचित्र टंगा रहेगा, जिस पर नदियाँ, नालाब की दूकानें, तार्वनिक घाट, चौकीदारी यूनियन जो सीमार्स, सीमावर्ती आरक्षी धानों के चित्र काट-काटकर चित्रकाये जायें, नेपाल या अन्य देश के सह-सीमन्थ हों तो इन देशों के सह-सीमन्थ धानों का मानचित्र चित्रकाये जायेंगे। किन्तु इस अनुदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। धाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि आरक्षी हस्तक के नियम-131 के तहत एक सलटाड के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन भेजें।

7- तहसी नं०-16:-

इस तहसी में सरकारी अधिभूयता की प्रति, धाना नं०, गाँवों की संख्या, आवादी, क्षेत्रफल रखा जाता है। धाना प्रभारी एत इस तहसी में जनसंख्या, धाना का क्षेत्रफल, गाँव का नाम आदि अंकित कर रखा गया है। धाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि सभी सूचनाओं को अधिलम्ब तहसी में अंकित कर अनुपालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें।

2- तहसी नं०-17 :-

इस तहसी में धाना के पदाधिकारी/कर्मियों का कार्य विवरण की सूची अंकित किया जाता है, जो विधिवत संघारित है।

- सब इन्सपेक्टर नोटिफिक :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 357 के तहत फार्म संख्या-75 बी में सब इन्सपेक्टर नोट बुक संघारित करना है। इस धाना एक जोर से गाँव रजिस्टर में संघारित किया गया है। इसे धाना प्रभारी द्वारा अपने हाथ से लिखना है। पंजी का अवलोकन किया गया। पंजी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा इसे लिखा जा रहा है, जो गलत है। धाना प्रभारी को निर्देशना नगातार... 17/-

दिया जाता है कि इस पंजी का संघारण नियमानुसार विधिवत प्रपत्र में करना सुनिश्चित करें। पंजी अलग है।

29- खतियान इन्सोयकान रजिस्टर पार्ट-1 :-

यह विहित प्रपत्र में संघारित है एवं अलग है। इस पंजी में केस के मामले के संबंध में जानकारी प्रिलगी है।

30- खतियान इन्सोयकटर रजिस्टर पार्ट-11 :-

यह विहित प्रपत्र में संघारित है जिसमें मासिक रूप से पदाधिकारीवार केस रिपोर्ट, अनुसंधानकर्ता का नाम, अफिसल का निष्पादन किम कर्म करना है आदि आरभी निरीक्षक द्वारा लिखा जाता है। पंजी के अलोकन से ज्ञात होता है कि कर्म 2001 में कानून धाना में कुल 85 काण्ड प्रतिवेदित हुए हैं, जिसमें 69 काण्डों में आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है। दो काण्ड सत्य दृश्यहीन घोषित हुए तथा असत्य के 6 एवं असंशोधित के 8 काण्ड घोषित हैं।

31- सी.डी.ओ.पार्ट-1 :-

इसमें दागी व्यक्तियों की सूची रखी जाती है। इस पंजी के अनुसार इस धाना में कुल 8 दागी हैं, जिनका धाना प्रभारी द्वारा समय-समय पर जांच की जाती है। पंजी सही ढंग से संघारित है।

32- सी.डी.ओ.पार्ट-11 :-

इस पंजी में सम्पत्ति से संबंधित अपराध के मामले दर्ज किये जाते हैं। जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध अपराध साबित हो जाता है, तो उसे इस पंजी में सूचीबद्ध कर दिया जाता है। इसमें दूसरे धाना का केस लाल रखाही से एवं अपने धाना का केस काला रखा है अंकित किया जाता है। इस पंजी का अलोकन किया। पंजी में अंतिम प्रविष्टि खजौली कलुआही धाना काण्ड संख्या 52/2002 दिनांक 8-5-2002 धारा 457, 380 भा.दो.वि.0 से संबंधित है। अनुसंधानोपरान्त काण्ड में अंतिम प्रतिवेदन सत्य सूत्रहीन समर्पित किया गया है। इस पंजी में अंतिम प्रविष्टि संख्या 450 है। इस पंजी के अनुसार श्री महादेव पासवान पे.0 नीरस पासवान, सा.0-हरिपुर माल धाना-कलुआही का नाम 1497 पर एवं रम.ओ.ओ. इन्डेक्स के क्रमांक-145 एवं अल्फावेटिकल इन्डेक्स के क्रमांक 164 पर अंकित पाया गया

33- सी.डी.ओ.पार्ट-111 :-

यह पंजी विहित प्रपत्र के अभाव में सादे पंजी में संघारित किया गया है। इस पंजी में धाना क्षेत्र के अति महत्वपूर्ण

विद्यार्थी पर यथा धार्मिक, कृषि, सामुदायिक, भू-विवाद, राजनैतिक मामलों पर गोपनीय अभ्युक्तियों के द्वारा अंकित की जाती है। यह पंजी 29-9-2002 तक लिखा गया है। धानागुमारी को निर्देश दिया जाता है कि पंजी को अद्यतन रखें।

34- अल्फावेट अनुक्रमणी पंजी :-

यह पंजी विहित प्रश्न में संपारित है एवं अद्यतन है। इस पंजी के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध सत्यापन का मामला धाना में आता है, तो उसे अल्फावेट अनुक्रमणी पंजी से नाम देखकर सी.डी.ओ.पार्ट -11 से जानकारी ली जाती है। इस पंजी में उन्हीं व्यक्तियों का नाम रहता है, जो किसी मामले से संलिप्त है। यह पंजी सी.डी.ओ.पार्ट-11 में अंकित व्यक्तियों के आधार पर बनायी गयी है। धाना प्रभारी ने बताया कि विरुद्ध सत्यापन से संबंधित कोई मामला लंबित नहीं है।

35- एमओओ रजिस्टर :-

विहार आरक्षी दरतक के नियम-357 के तहत फार्म 76 ए, में एमओओ रजिस्टर संपारित की गई है। इस रजिस्टर में अपराधियों के अपराध करने की शैली जैसे लूटपाट क्रिया गथा अथवा नहीं, लाठी-डंडा से मारपीट क्रिया गथा या नहीं, उनके द्वारा जाने समय क्या-क्या बोल गथा आदि की एन्ट्री की जाती है। पंजी का संपारण सही ढंग से क्रिया जा रहा है।

36- अपाकृतिक मृत्यु :-

अपाकृतिक मृत्यु पंजी विहित प्रश्न में संपारित है। दिनांक पंच वर्षों का अपाकृतिक मृत्यु से संबंधित ऑडिट निम्नवत है :-

| वर्ष | आग में जलने से | पानी में डूबने से | सर्दियाँ से | विद्युत स्पर्शाघात | पेड़ से गिरने से | विविध |
|------|----------------|-------------------|-------------|--------------------|------------------|-------|
| 1997 | - | 3 | 3 | - | - | 2 |
| 1998 | - | - | - | - | - | 1 |
| 1999 | - | 2 | - | - | - | - |
| 2000 | - | - | - | - | - | 3 |
| 2001 | - | 1 | - | - | - | 4 |
| 2002 | 2 | - | - | - | - | 1 |

लंबित अयाकृतिक मृत्यु अभियोग की विवरणी निम्नप्रकार है :-

| क्रमांक | काण्ड संख्या | दिनांक | अनुसंधान पदाधिकारी का नाम | लंबित का कारण |
|---------|--------------------------|------------|-----------------------------|-------------------|
| 1- | गूड्री0कांड सं0-3/1999 | 20-12-1999 | स0अ0नि0 देवकी चौधरी | श्रीसर जॉय हेतु । |
| 2- | गूड्री0कांड सं0-4/2000 | 16-10-2000 | स0अ0नि0 रांभू प्रसाद जमादार | आदेश हेतु । |
| 3- | गूड्री0कांड सं0-2/2001 | 20-04-2001 | अ0नि0 प्रदीप कुमार दास | श्रीसर जॉय हेतु । |
| 4- | गूड्री0कांड सं0-4/2001 | 23-07-2001 | स0अ0नि0 रांभू प्रसाद जमादार | जॉय हेतु । |
| 5- | गूड्री0कांड सं0-5/2001 | 26-09-2001 | स0अ0नि0 सी0 राम | आदेश हेतु । |
| 6- | गूड्री0कांड सं0-01/2002 | 23-02-2002 | अ0नि0 प्रदीप कुमार दास | अनुसंधान हेतु । |
| 7- | गूड्री0कांड सं0- 03/2002 | 26-09-2002 | स0अ0नि0 सी रजम | अनुसंधान हेतु । |

37- अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत वर्ग मामलों की पंजी :-

अनुसूचित जाति/जन जाति अत्याचार अधिनियम के तहत वर्ग मामलों की पंजी इस धाना में संघारित है । पंजी का

अवलीकन क्रिया । पंजी के अवलीकन से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2000 में खौली कुलुआही धाना काण्ड संख्या 46/2000 दिनांक 17-4-2000 धारा 341/323/379/384/386/34 भा0द0वि0 एवं 388 अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार अधिनियम/अनुसंधान दाद आरोप पत्र समर्पित क्रिया गया है । इसी प्रकार वर्ष 2002 में 20-10-2002 तक खौली कुलुआही धाना काण्ड संख्या 103/2002 दिनांक 1-8-2002 धारा 323/406/409/420 भा0द0वि0 एवं 388 अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम अनुसंधान दाद अंतिम प्रतिवेदन शारलर झूठा समर्पित क्रिया गया है । जिला त्तर पर प्रत्येक वृहत्संपत्तित्वार को आयोजित जनता दरवार में अस्तर लोगों द्वारा शिकायत की जाती है कि धाना प्रभारी द्वारा उनका मामला वर्ग नहीं किया जाता है, उन्हें समुचित मदद नहीं की जाती है । विवेका हो कि अनुआही धाना क्षेत्र अनुसूचित जाति बहुल्य है एवं आये दिन विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से सुनिहिन एवं सुनिपतियों के बीच तनाव की सुधार मिलती रहती है । अतएव, धाना प्रभारी इस पर विशेष ध्यान दें एवं इस अधिनियम को सखती से लागू करना सुनिश्चित करें ।

ऑफ आर्म्स डिपोजिटेड इन पुलिस स्टेशन :-

38- बिहार ऑफ आर्म्स डिपोजिटेड इन पुलिस स्टेशन :-
बिहार पुलिस हस्तक के नियम 323 के तहत फार्म संख्या-67 में यह पंजी संघारित करना है, जो संघारित है। यान्त्रिकरी
में कोई नान्न वर्तमान में जमा नहीं है।

39- बैरिक एवं साटगाहिक प्रतिवेदन :-

पुलिस हस्तक के नियम 598कू कू तहत फार्म संख्या 68. में यह प्रतिवेदन प्रेषित किया जाता है। परन्तु विभिन्न थानों
जो निरीक्षा के दौरान पाया गया है कि आरक्षी निरीक्षकों द्वारा यह प्रतिवेदन अनुमण्डल पदाधिकारी को नहीं भेजा जा रहा है, जो
नया नहीं है। नियम 598कू में यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि "प्रथम संख्या 68. में नित्य प्रतिवेदन प्रेषित किया जायगा, उन क्षेत्रों
जो विवरण रहेगा, जो प्रतिदिन दर्ज होते हैं। आरक्षी निरीक्षक इन प्रतिवेदनों को अनुमण्डल पदाधिकारी तथा अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी
को प्रेषित करेंगे, जो उन्हें क्रमशः जिला मजिस्ट्रेट तथा आरक्षी अधीक्षक को अज्ञात करेगे। आरक्षी निरीक्षक, खौली अंचल को निर्देश
दिया जाता है कि अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर मधुबनी को नियमित रूप से दैनिक प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

40- डकैती पंजी :-

यह पंजी सादे पंजी में इस थाना में संघारित है। इस पंजी में काण्डों से संबंधित संक्षिप्त विवरणियाँ अंकित की जाती
है। सभी कांडों में डकैती स्थल चिपकायी गयी है। अंतिम प्रविष्टि खौली कलुआही थाना काण्ड संख्या 54/2001 दिनांक 29-5-2001
पार्ट 395 भा0द0वि0 से संबंधित है।

41- लूट पंजी :-

इस थाना में सादे पंजी में इसे संघारित किया जा रहा है। सभी काण्डों की संक्षिप्त विवरणियाँ इस पंजी में अंकित की
गयी है। पंजी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अंतिम प्रविष्टि खौली कलुआही थाना काण्ड संख्या 48/2000 दिनांक 23-4-2000
पार्ट 392 भा0द0वि0 अंकित है।

42- गुंडा पंजी :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 1316कू के अनुसार अपराध शैली के अनुसार 14 प्रकार के गुंडों का वर्गीकरण किया
लगातार... 21/-

गया है, जो निम्न प्रकार से है :- §118 नाराबी §28 दवाब डालकर पैसा रखने वाले §38 मादक पदार्थों का अंधधुंध कारवाज करने वाले
 महेलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले §58 काला बाजारी करने वाले §68 दंगाई §78 मुकदमेबाज §88 लीड-फ्रीड करने वाले
 §98 संघदायवादी §108 छात्रों को भ्रुकाने वाले §118 रिजर्वों एवं लड़कियों का व्यापार करने वाले §128 जुआड़ी §138 छीन-छोर करने
 वाले §148 रेलगाड़ियों और बसों पर बदमाशी करने वाले । धाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि सभी फिरोज के गुण्टा की सूची
 दर्जकरण के अनुसार बनायी गयी है ।

43- अग्रथमिकी पंजी :-

यह पंजी विद्यमान इस धाना में संघारित किया गया है । विगत पाँच वर्षों का अग्रथमिकी ऑकड़ा निम्नवत है :-

| वर्ष | 107/116 | 144 | 109 | 113 | 290 | 182/211 | 188 |
|------|---------|-----|-----|-----|-----|---------|-----|
| 1997 | 44 | 5 | - | - | - | 1 | 1 |
| 1998 | 104 | 2 | - | - | - | - | - |
| 1999 | 55 | 4 | - | - | - | 2 | - |
| 2000 | 24 | 8 | - | 8 | - | - | - |
| 2001 | 63 | 14 | - | 14 | - | - | - |
| 2002 | 37 | 7 | - | - | - | - | 1 |

§दि20-10-2002तक§

उपर्युक्त ऑकड़ा के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2002 में निरीक्षण की तिथि तक 107/116 में 37, 144 में 7 एवं 188 में 1 व्यक्ति के विरुद्ध अग्रथमिकी दर्ज करने का प्रस्ताव भेजा गया है । 109, 113, 182/211 एवं 290 में एक भी प्रस्ताव नहीं भेजा गया है । ऐसा प्रतीत होता है कि धाना प्रभारी को जानकारी की कमी है । निरीक्षण के क्रम में उपस्थित आरक्षी निरीक्षक को निर्देश दिया गया कि इसका संघारण कैसे किया जाय, की जानकारी धाना प्रभारी को उपलब्ध करा दें ।

44- प्राथमिकी पंजी :-

धाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि चूंकि प्राथमिकी खौली धाना में दर्ज किया जाता है, फलस्वरूप कितने मामलों नगानार...22/-

दर्शक, उत्तरी जगहारी नदी मिल रही । प्राथमिकी पंजी 13 कॉलम में संपादन किया जाता है एवं पर्यटन प्रतिपत्ति में विचार किया जाता है । दर्शक प्राथमिकी की पहली प्रति मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को, दूसरी प्रति आरक्षी अधीक्षक को, तीसरी प्रति अनुसंधान आरक्षी पदाधिकारी को, चौथी प्रति आरक्षी निरीक्षक को एवं पर्यटन प्रति धाना में रखी जाती है । धाना प्रभारी ने बताया कि आरक्षी पदाधिकारी असाधारित कर खोली धाना प्रभारी को प्राथमिकी दर्श करने हेतु भेजा जाता है । मुक्ति धाना की प्रथम न्यायालय में आवेदन/अर्द्धधान असाधारित कर खोली धाना प्रभारी को प्राथमिकी दर्श करने हेतु भेजा जाता है । मुक्ति धाना की प्रथम न्यायालय बंद गया है, अतः जब कोई व्यक्ति धाना में जाता है, तो उसे प्रथम न्यायालय में न्याय अवश्य मिलना चाहिए । निकायाने कर्तव्य व्यक्त की बात पूरी तन्मयता से सुनकर, प्राथमिकी दर्श कर निष्पक्ष होकर त्वरित कार्रवाई करना चाहिए । धाना प्रभारी इसका अनुमान सुनिश्चित करेंगे ।

45- निम्न विशेष प्रतिवेदित काण्डों की विवरणी :-

इस धाना के अन्तर्गत निम्न विशेष प्रतिवेदित काण्डों की विवरणी निम्न प्रकार है :-

| क्रमांक | कांड संख्या/वर्ष | धारा | अनुसंधानकर्ता का नाम | निमित्त का कारण |
|---------|------------------|---|----------------------|---------------------------|
| 1- | 51/2002 | 304(बी), 201/34भाउदोवि० | स०अ०नि० सी० राम | अनुसंधान हेतु । |
| 2- | 61/2002 | 363, 365, 366R, 34 भाउदोवि० | स०अ०नि० सी० राम | अनुसंधान हेतु । |
| 3 | 84/2002 | 341, 323, 341, 376, 34भाउदो | अ०नि० पी०के०दास | अनुसंधान हेतु । |
| 4- | 97/2002 | 147, 148, 149, 341, 323, 324, 307, 448, 380, 302 भाउदोवि० | अ०नि० पी०के०दास | अनुसंधान/निरक्षारी हेतु । |

धानाप्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि निम्न विशेष काण्डों के निष्पादन की दिशा में अतिरिक्त आवश्यक

कार्रवाई करें ।

46- निम्न अविशेष काण्डों की विवरणी :-

इस धाना-तर्गत निम्न अविशेष काण्डों की विवरणी निम्न प्रकार है :-

| क्रमांक | काण्ड संख्या/वर्ष | धारा | अनुसंधानकर्ता का नाम | निमित्त का कारण |
|---------|-------------------|---|----------------------|-----------------|
| 1- | 96/2002 | 341/323/448/380/386/34 भाउदोवि० स०अ०नि० सी० राम | अनुसंधानकर्ता का नाम | निमित्त का कारण |

| | | | | |
|----|----------|--------------------------------------|----------------------|-----------------|
| 2- | 116/2002 | 385/504/34 श्रा0द0र्विव0 | स0अ0नि0 सी0 राग | अनुसंधान हेतु । |
| 3- | 124/2002 | 457/380 श्रा0 द0र्विव0 | स0अ0नि0 सी0 राग | अनुसंधान हेतु । |
| 4- | 125/2002 | 341/323/337/354/379/34 श्रा0द0र्विव0 | स0अ0नि0 रस0पी0षमादार | अनुसंधान हेतु । |
| 5- | 129/2002 | 384/506/34 श्रा0द0र्विव0 | अ0नि0 पी0 के0दास | अनुसंधान हेतु । |

47-मालखाना पंजी :-

बिहार आरक्षी दफ्तक के नियम 308 के तहत फार्म -51 में मालखाना पंजी संधारित किया जाना है । इस धाना में विहित प्रथम उपलब्ध नही रहने के कारण सादे पंजी में संधारित किया गया है । इस पंजी में लावारिस सामान, जलत सम्पत्ति, कुर्सी से प्राप्त सम्पत्ति एवं आपराधिक विचारणों में प्रदर्श के रूप में भेजी गई सम्पत्ति दर्ज की जाती है । मालखाना पंजी के अनुसार वर्ष 1988 से लेकर 2002-10-2002 तक प्रदर्श के रूप में 33, कुर्सी का 25, लावारिस का 2, कुल 60 मद मालखाना में जमा है । मालखाना में रची गई सम्पत्तियों के निरूपण हेतु समुचित कार्रवाई नहीं की जा रही है, क्योंकि बहुत से काण्डों में न्यायालय का आदेश पूर्व में पारित हो गया होगा । धाना परिसर में एक पुरानी फ्लैट कार पड़ा हुआ पाया गया । धाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि इसकी छानबीन कर इसकी निलामी करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें ।

48- मालखाना रिसीट भाउवर पंजी :-

मालखाना रिसीट भाउवर पंजी में तक्षम न्यायालय अथवा दण्डाधिकारी के आदेश से जो भी जलत सामग्री प्रदर्श मालखाना से भुक्त किया जाता है, उक्त आदेश की प्रति इस पंजी में पेट्ट कर रखी जाती है । यह पंजी दो भागों में होती है । धाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि इस पंजी का संधारण सही ढंग से करना सुनिश्चित करें ।

49- अनुक्रमणी पंजी :-

इस धाना में कितने तरह की पंजियाँ अथवा संकिफर संधारित की गई है, उसकी अनुक्रमणी पंजी नहीं बनाई गई है । धाना सगातार... 24/-

प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि एक सप्ताह के अन्दर अनुक्रमणी पंजी तैयार कर धाना में उपलब्ध सभी पंचियों/संक्राओं को संचारित करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन भेजें। अगर आवश्यक हो तो इस संबंध में प्रकृत विकास पदाधिकारी/अंजल अधिकारी से भी मार्ग निर्देश प्राप्त किया जा सकता है।

50- अराध आर्कडा :-

कनुआही धाना अन्तर्गत विगत पाँच वर्षों का अराध आर्कडा निम्नप्रकार है :-

| वर्ष | हत्या | डकैती | लूट | गृहभेदन | चोरी | दंगा |
|---------------|-------|-------|-----|---------|------|------|
| 1997 | 1 | - | - | - | 4 | 3 |
| 1998 | 2 | - | - | 2 | 4 | 3 |
| 1999 | 1 | - | 1 | 2 | - | 5 |
| 2000 | 2 | - | 2 | 1 | - | 7 |
| 2001 | 1 | 1 | - | 1 | 5 | 4 |
| 2002 | 1 | - | - | 5 | 1 | 1 |
| 20-10-2002 तक | | | | | | |

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मात्र डकैती एवं लूट की घटना को छोड़कर सभी क्षेत्रों/मदों में अराध की घटना में वृद्धि हुई है। इसके रोकथाम के लिए कारगर कदम उठाने की आवश्यकता है। धाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि सधम अभियान चलाकर क्षेत्र में बढ़ती हुई आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने की कार्यवाही करें। अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी, खजौली एवं आरक्षी निरीक्षक, खजौली अंजल को इस पर कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता है।

51- पत्राचार :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 912 के तहत प्रपत्र संख्या 119 अ. में प्राम्त पत्रों की पंजी एवं प्रपत्र 119आ. में निर्गत पत्रों की पंजी संचारित करना है, जिसमें §11§ न्यायालय से संबंधित §2§ विभाग से संबंधित §3§ सीमावर्ती धाना से संबंधित एवं §4§ आम जनता से संबंधित पत्रों को संचारित करना है। धाना प्रभारी ने बताया कि इस वर्ष दिनांक 21-10-2002 तक कुल 591 पत्र इस धाना से निर्गत

किये गये हैं ।

52- रोकथाम पंजी :-

यह पंजी विधिवत विहित प्रपत्र में इस धाना में संघारित किया गया है । यह दो भागों में लिखा जाता है । भाग-1 में कैदी भोजन मद का लेखा-बीखा लिखा जाता है । इस मद में माह- अक्टूबर, 2002 में कुल 1929/-रुपये रोष हैं । भाग-11 में पदाधि-कारी/कर्मियों का वेतन भुगतान एवं अन्य प्रकार के भुगतान का लेखा-बीखा लिखा जाता है । इस मद में माह-अक्टूबर, 2002 में दिनांक 4-10-2002 को 70, 998/-रुपया एवं 85 पैसा प्राप्त हुआ है, जिसका भुगतान उचित प्राप्तकर्ता को किया गया है । इस मद में रोष राशि शून्य है ।

53- कौन्सिलर नोट बुक :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 89ड. ४ के तहत कौन्सिलर नोटबुक विधिवत संघारित किया जाना है, जो इस धाना में विहित प्रपत्र उपलब्ध नहीं रहने के कारण सादे पंजी में संघारित किया जा रहा है । यह पंजी आरखी द्वारा संघारित किया जाता है, जिसमें उनके द्वारा कौन-कौन सा कर्तव्य का पालन किया गया, किस कार्य से कहीं-कहीं गया, का बिल किया जाता है ।

54- चौकीदारी पंजी :-

पुलिस हस्तक के नियम-13 के तहत विहित प्रपत्र में चौकीदारी पंजी का संघारण किया गया है । यह पंजी 19 कनिशी में संघारित है जिसमें चौकीदारों की उपस्थिति रोमन अंक में दर्ज की जाती है तथा अनुपस्थिति नाम तथाही से इटालियन में लिखा जाता है ।

चौकीदार/दफादारों के तवीकृत बल एवं पदस्थापन की स्थिति निम्नप्रकार है :-

| क्रमांक | पद का नाम | तवीकृत बल | पदस्थापित बल | स्थिति | अतिरिक्त |
|---------|-----------|-----------|--------------|--------|----------|
| 1- | दफादार | 3 | 3 | शून्य | - |
| 2- | चौकीदार | 30 | 30 | शून्य | - |

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दफादार एवं चौकीदार रवीकृत वन के विवरण पूर्ण है। रवीकृत वन के अनुसार पदस्थापित दफादार/चौकीदारों की सूची पूर्ण पता सहित निम्नवत है :-

| क्रमांक | महाल एवं बीट संख्या | नाम/पिता का नाम | ग्राम |
|---------|---------------------|--|---|
| 1- | दफादार-111 | दीप नारायण सिंह पै०- स्व० देवनन्दन सिंह | ग्राम-भलनी, धाना-कुआही। |
| 2- | चौकीदार 3/2 | राम प्रताप राय पै० सोने राय। | ग्राम-डीहटोल, धाना-कुआही। |
| 3- | चौकीदार 3/3 | राम प्रसाद पाखान पै० स्व० जीवठ पाखान | ग्राम-डीहटोल, धाना-कुआही। |
| 4- | चौकीदार 3/4 | भगेश्वर पाखान पै० स्व० नूनु पाखान | ग्राम-मालटोल, धाना-कुआहे। |
| 5- | चौकीदार 3/5 | किशोर कुमार पाखान पै० रामेश्वर पाखान | ग्राम-डोकहर, धाना-कुआही। |
| 6- | चौकीदार 3/6 | अमोल मंडले पै० स्व० नितार मंडल | ग्राम-बकरी टोल। |
| 7- | चौकीदार 3/8 | राजा राम यादव पै० स्व० बलदेव यादव | ग्राम-क्योरग, धाना-कुआही। |
| 8- | चौकीदार 3/10 | लूटन कुर्मी पै० सिंगुर कुर्मी | ग्राम-शुभकरपुर, धाना-कुआही। |
| 9- | चौकीदार 3/11 | योगेन्द्र पाखान पै० केशव पाखान | ग्राम-बेलाही, धाना-कुआही। |
| 10- | चौकीदार 3/12 | मकुन्दन पाखान पै०- सरयुग पाखान | ग्राम-लोहा, धाना-कुआही। |
| 11- | चौकीदार 3/13 | बट्टे लाल पाखान पै० स्व० लखन पाखान | ग्राम-भेसुर, धाना-कुआही। |
| 12- | दफादार 1 | रामेश्वर सिंह पै० स्व० राम नारायण सिंह | ग्राम-कुआही, धाना-कुआही। |
| 13- | चौकीदार 4/1 | सुखदेव पाखान पै०-स्व० स्वल्प पाखान | ग्राम-मलमल, धाना-कुआही। |
| 14- | चौकीदार 4/2 | विदेशी यादव पै० जुही यादव | ग्राम-मलमल, धाना-कुआही। |
| 15- | चौकीदार 4/3 | भिखारी पाखान पै० जनक पाखान | ग्राम-राठ, धाना-कुआही। लगातार...27/- |

| | | | |
|-----|--------------|---|-----------------------------------|
| 16- | चौकीदार 4/5 | मो० शोख रसीद पे० मो० मोहीत | ग्राम-मलम, धाना-कुआही । |
| 17- | चौकीदार 4/9 | बन्दी न्हैरी, पे० स्व० रामजी न्हैरी | ग्राम-पुरसौलिया, धाना-कुआही । |
| 18- | चौकीदार 4/12 | मो० इशाहाद पे० स्व० खुदावकस असारी | ग्राम-पुरसौलिया, धाना-कुआही । |
| 19- | चौकीदार 4/13 | इनर यादव पे० स्व० बाबूलाल यादव | ग्राम-कुआही, धाना-कुआही । |
| 20- | दफादार- | योगेन्द्र चौधरी पे० सुगोल चौधरी | ग्राम-नरार, धाना-कुआही । |
| 21- | चौकीदार-5/1 | सर्प नारायण यादव पे० स्व० भज्य यादव | ग्राम-नरार, धाना-कुआही । |
| 22- | चौकीदार 5/2 | राम लखिवन यादव पे० स्व० बलदू यादव | ग्राम-नरार, धाना-कुआही । |
| 23- | चौकीदार 5/5 | रघुवर मंडल पे० स्व० जीवठ मंडल | ग्राम-नरार गुलिया टोल, धाना-कुआही |
| 24- | चौकीदार 5/7 | दुखरा T. पास्वान पे० स्व० गगाई पास्वान | ग्राम-कालिकापुर, धाना-कुआही । |
| 25- | चौकीदार 5/8 | खुदेव धानुक पे०- स्व० पर्यु धानुक | ग्राम-बरदेपुर, धाना-कुआही । |
| 26- | चौकीदार 5/9 | अगहन दास, पे० स्व० खल्लाल दास | ग्राम-रामगढ़, धाना-कुआही । |
| 27- | चौकीदार 5/10 | रामेश्वर यादव पे० स्व० मनोहर यादव | ग्राम-भरतपट्टी, धाना-कुआही । |
| 28- | चौकीदार 5/11 | छोतन पास्वान पे० स्व० तिलक पास्वान | ग्राम-कालिकापुर, धाना-कुआही । |
| 29- | चौकीदार 5/13 | बहरू मंडल पे० स्व० लक्ष्मी मंडल | ग्राम-लक्ष्मीपुर, धाना-कुआही । |
| 30- | चौकीदार 5/14 | रामजीवन यादव पे० स्व० गोधन यादव | ग्राम-नरार, धाना-कुआही । |
| 31- | चौकीदार 5/16 | छठीलाल यादव पे० सरयुग यादव | ग्राम-लक्ष्मीपुर, धाना-कुआही । |
| 32- | चौकीदार 5/17 | रामरुक्माल यादव पे० स्व० वैधनाथ यादव | ग्राम-भरतपट्टी, धाना-कुआही । |
| 33- | चौकीदार 4/4 | अनुम दास पे० हजारी दास | ग्राम-मलम, धाना-कुआही । |

55- चौकीदार हिसमोजीदान पंजी :-

थाना प्रभारी ने बताया कि यह पंजी खजौली थाना के साथ संघारित है तथा पंजी खजौली थाना में ही रखा जागा है । बताया गया कि पंजी संघारित है एवं अद्वतन है ।

56- सम्मान गार्ड :-

निरिक्षण हेतु पूहेंवे पर निम्नांकित सम्मान गार्ड कवायद द्वारा अधोहस्ताक्षरी को सगामी दी गई । स्त्री आरक्षियों का दर्न आउट अछा रहटा । आरक्षी अधीक्षक, मधुखनो से अनुरोध है कि उनके मनोबल को ऊँचा बनाये रखने हेतु नियमानुसार पुरस्कृत करना चाहेगे ।

- 1- हवलदार- राधमरीक्षण सिंह
 - 2- आरक्षी-786 - सत्य नारायण साह
 - 3- आरक्षी-433 - शोभाकान्त यादव
 - 4- आरक्षी 339 - अनन्द प्रसाद सिंह
- 57- थानाप्रभारी के कर्तव्य :-

थाना प्रभारी से उनके कर्तव्य के बारे में पूछने पर संतोषपूर्वक जवाब नहीं दिया गया । फिर भी विशेष जाँचकरी हेतु बिहार पुलिस हस्तक के नियम 81 के अंतर्गत थाना प्रभारी का क्या कर्तव्य है, उसकी विवरणी निम्नप्रकार है :-

- १- अधीक्षक वासियों को गहरी जाँचकरी तथा उनका सहयोग और सहानुभूति प्राप्त करना ।
- २- अपराध और अपराधियों, संदिग्ध व्यक्तियों और अजनबियों के संबंध में चौकीदारों से संधारणीति और अविलम्ब द्योरे पाना ।
- ३- अपराधियों तथा संदिग्ध व्यक्तियों पर आवश्यक निगरानी बरतना ।
- ४- अपराध निर्देशिका तथा निगरानी अभिलेखों को यत्न से रखना तथा मनन करना ।
- ५- स्वयं गत की व्यवस्था करना ।
- ६- अपजी विका केसों में अभियोजन रिपोर्ट उपस्थापित करना ।
- ७- सीमावर्ती थानों के अधिकारियों के साथ अधिक से अधिक सहयोग करना ।

धाना प्रभारी को निर्देश दिया गया कि उपर्युक्त निर्देशों के साथ-साथ खिहार पुलिस हस्तक में दिये गये अन्य निर्देशों का अनुपालन करती स करें ।

58- अन्याय :-

§क§ जिला विधि अञ्चल सभिति को बैठक में पीपीपी द्वारा शिकायत की जाती है कि अनुसंधानकर्ता की डायरी के अभाव में बहुत सारे मामलों में रक्युटल का सामना करना पड़ता है । अतः धाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि गवाह प्रोडक्शन के लिए जो सम्मन भेजे जाते हैं, उसका ताफिरा नियमित समय-सोम के अन्दर कराकर अनुपालन प्रतिवेदन भेजें तथा केस डायरी को मांग कर जेने पर समय उपलब्ध करायें ।

§ख§ २०पी०पी० द्वारा जिला विधि अञ्चल सभिति को बैठक में जानकारी दी जाती है कि अनुसंधान प्रतिवेदन के अभाव में कोर्टों के निष्पादन में कठिनाई होती है । अतएव, धाना प्रभारी नवित कोर्टों के अनुसंधान का कार्य त्वरित गति से निष्पादित करने पर प्रतिवेदन समर्पित करें ।

§ग§ नीलाम-पत्र वादों में निर्गत डी० डब्लू० एवं बी० डब्लू० का रहती से कार्यान्वयन कराने सुनिश्चित करें ताकि प्रमादी व्यक्तियों के विरुद्ध कोर्ट कार्रवाई की जा सके एवं राजस्व की वसूली में प्रगति लाई जा सके । धाना प्रभारी से पूछने पर कि नीलाम-पत्र वाद का कोर्ट मामला ताफिरा हेतु नवित है अथवा नहीं, के संबंध में बताया गया कि कुछ मामलों नवित हैं । धाना प्रभारी को निर्देश दिया गया कि नीलाम-पत्र से संबंधित जो भी मामला है, उसको सूची बनाकर यदि कालबाधित होता है, तो उसे रिभेन्डिट करके 15 दिनों के अन्दर अनुपालन करना सुनिश्चित करें ।

§घ§ भूमि विवाद/नीलाम-पत्र वाद से संबंधित मामलों के निष्पादन में दफादार/चौकोदारों को माह में एक बार अंचल अधिकारी के पास अवश्य भेजें ताकि उनके सहयोग से प्रमादी व्यक्तियों से सम्पर्क स्थापित कर राफिरा की वसूली की जा सके ।

§च§ गरीब एवं असहाय व्यक्त/अनुसूचित जाति/जन जाति के प्रति पूर्ण सहानुभूति रखें एवं उनके साथ सहृदयता से षेरा करें ।

§ड§ भूमि विवाद का स्थायी समाधान निकालें । अतिक्रमण दूर करने/शान्ति स्थापना करके में पूरक विज्ञान पदाधिकारियों अंचल अधिकारी से सम्बन्ध स्थापित कर, नियमित सम्पर्क कर अपेक्षित सहयोग दें ।

§ण§ चौकोदारी षेड का निरीक्षण के दौरान सभी चौकोदारों को निर्देश दिया गया कि गोव के बारे में असाभाविक तर्कों

के बारे में एवं अन्य गति विन्दु के संबंध में धाना की निरिचल स्थ से लूना है । साथ ही नौगाम-वत्र बाद में सन्निहित रास्ता की वल्लो में अंचल अधिकारी को जावरक स्थयोग प्रदान करें ।

इस इत धाना क्षेत्र में अधोहस्ताधरी के भ्रष्टा के क्रम में पाया गया है कि बाहन रोक र अथैय स्थ से चन्दा की वल्लो को जाता है । धानाप्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि इस विन्दु पर विशेष ध्यान रखें एवं प्रजाग-पत्र दें कि इस धाना क्षेत्रान्तर्ग अथैय चन्दा की वल्लो नहीं को जा रही है ।

59- निष्कर्ष :-

कुल मिलाकर इस धाना का कार्य-कलाप संतोष्यद कहा जा सकता है । धाना प्रभारी श्री प्रदीप कुमार दास रक चुल्ल-दुल्ल पदाधिकारी हैं । यद्यपि नौ दास नये पदाधिकारी हैं, फिर भी नई बलों को त्रु तित है । धाना में पंजियों का संभारणा स्थो ढंग से किया जा रहा है । आरक्षी अधीक्षक, म्यूसनी से अनुरोध है कि श्री प्रदीप कुमार दास, धाना प्रभारी, कलुआही एवं आरक्षी निरीक्षक, खजोली अंचल श्री विन्ध्य कुमार सिंह के कार्य-कुशलता को देखी हुए उनके मनोबल को बढ़ाने हेतु 1,000/- रुक हजार रुक स्थे को दर से पुरस्कृत करना चाहेंगे । धानाप्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि निरीक्षणा के दौरान दिये गये निर्देशों का अनुपालन सभ्य-सोमा के अन्दर कर अनुपालन नोतिवेदन अधोहस्ताधरी को भ्रष्टता सुनिश्चित करें । धाना तिक्र स्थो पंजियों में पुष्टियों का तत्यापन पंजो के प्रथम पंन्ने में अवश्य करें । यदि इस निरीक्षणा के दौरान दिये गये निर्देशों का अनुपालन सभ्य-सोमा के अन्दर किया जाता है तो धाना के कार्कलाप में और भी गुणात्मक सुधार आ सकता है ।

HO/-डा।बी।ओरवेन्दर,
जिला पदाधिकारी,
म्यूसनी ।

समातार...31/-

ज्ञाप संख्या / 620

। सामान्य, मधुबनी, दिनांक 31 अक्टूबर, 2002 ई0।

प्रतिलिपि मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना को सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक, बिहार, पटना को सेवा में सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि गृह सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना को सेवा में सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि आरक्षी महानिरीक्षक प्रशासन, बिहार, पटना को सेवा में सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि आरक्षी महानिरीक्षक, दरभंगा प्रदेश, दरभंगा को सेवा में सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि आयुक्तदरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा को सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि आरक्षी उप महानिरीक्षक, दरभंगा क्षेत्र, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्क कार्यार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्क कार्यार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी, सदर मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्क कार्यार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि आरक्षी निरीक्षक, खजौली अंचल को सूचनार्थ एवं आवश्क कार्यार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि थाना प्रभारी, कलुआही थानाको सूचनार्थ एवं अनुमालनार्थ प्रेषित ।


30/10/2002

जिला पदाधिकारी,
मधुबनी ।